BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 31st December 2016 | No. 12

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर की 89वीं वार्षिक आम सभा एवं 90वीं वर्षगांठ उत्सव का समापन समारोह सम्पन्न

• राज्य की औद्योगिक छवि की ब्रांडिंग सही तरीके से नहीं • नोटबंदी सभी के हित में • विमुद्रीकरण से गरीबों को होगा लाभ • बिहार के विकास में चैम्बर की भूमिका सकारात्मक –महामहिम राज्यपाल

समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर तथा बाँयीं ओर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल एवं कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को चैम्बर की 89वीं वार्षिक आम सभा एवं 90वीं वर्षगांठ उत्सव के समापन समारोह का उद्घाटन श्री रामनाथ कोविन्द, महामहिम राज्यपाल, बिहार के कर-कमलों द्वारा हुआ। महामहिम ने इस अवसर पर चैम्बर कॉफी टेबुल बुक का भी विमोचन किया तथा चैम्बर के 9 पुराने सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों एवं चैम्बर पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर श्री जय कुमार सिंह, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

महामहिम राज्यपाल एवं माननीय उद्योग मंत्री का स्वागत चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने अर्केरिया का पौधा देकर किया।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि महोदय आप सभी को ज्ञात है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्थापना काल 1926 से ही राज्य के व्यापार एवं उद्योग के चतुर्दिक विकास हेतु प्रयासरत है तथा राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों तथा सरकार के बीच एक सेतू की भूमिका का निर्वहण करता आ रहा है। अपने 90 वर्ष की अवधि में अनेकों सफलताओं-असफलताओं के बावजूद राज्य में एक अच्छे औद्योगिक एवं व्यापारिक वातावरण के सृजन के लिए निरन्तर प्रयासरत है। चैम्बर ने सदैव राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों के व्यापक हित को प्राथमिकता देते हुए उसके रक्षार्थ एक अग्रणी भूमिका निभायी है।

महोदय, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के स्थापना के 90 गौरवशाली वर्षगांठ के कार्यक्रमों की शुरूआत चैम्बर के स्थापना दिवस दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को हुई थी जिसका उद्घाटन भारत के महामहिम उप-राष्ट्रपति माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा किया गया था और उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय आपने स्वयं उस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित किया था। इसी कड़ी में कई कार्यक्रमों के अलावा दीपावली मिलन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमे देश की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माननीया सांसद श्रमती हेमा मालिनी जी एवं उनके ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया था। उक्त कार्यक्रम में सहयोग के लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक गतिशील संगठन है जो उद्योग एवं वाणिज्य के विभिन्न स्तरों पर विकास की भूमिका का निर्वाह, विशेष रूप से बिहार में तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण देश में प्रभावी ढंग से करता आया है। चैम्बर यह प्रयास भी सुनिश्चित करता रहा है कि व्यापारियों की उचित माँगें सरकार के स्तर पर सुनी जाए एवं उनके विचारों का राज्य की आर्थिक नीतियों के निर्माण में समावेश किया जाए।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

चैम्बर अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस कार्यकाल के दौरान आपका स्नेह, सहयोग जो मुझे मिला उसके लिए आपका हार्दिक आभारी हूँ। आशा है, आपका यही सहयोग चैम्बर को सदैव मिलता रहेगा।

मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे काम या व्यवहार से किसी वन्धु को कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

मैं अध्यक्ष पद से निवृत्त हो रहा हूँ परन्तु चैम्बर को मेरा योगदान सदैव की भाँति मिलता रहेगा।

वन्धुओं, अभी पूरा बिहार दशमेश गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। इस विशेष अवसर पर आप सबों को मेरी लख-लख बधाईयाँ।

नववर्ष 2017 हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। नववर्ष आपके और आपके परिवार के लिए सुख, शांति एवं प्रगति वाला हो इन्हीं मंगल कामनाओं सहित।

आपका
ओ० पी० साह

अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी चैम्बर ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने प्रांगण में आवश्यक आधारभूत संरचना एवं उपकरणों के साथ दिनांक 8 फरवरी, 2014 से एक नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई-कटाई, मेंहदी एवं क्वील्ट बैक निर्माण का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वाबलम्बी बना रहा है जिससे कि वे किसी पर आश्रित नहीं रहें।

चैम्बर ने समय की मांग को देखते हुए सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण को चालू रखते हुए दिनांक 14 अप्रैल, 2015 से महिलाओं के लिए नि:शुल्क कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया है जो अभी भी चल रहा है।

अभी तक चैम्बर द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र में करीब 906 महिलाओं को सलाई-कटाई, मेंहदी एवं क्वीलट बैग निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। करीब 260 महिलाएं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं।

चैम्बर समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं यथा- बाढ़, भूकम्प में भी पीड़ितों मानवता की सेवा में अग्रणी रहता है।

चैम्बर Green Patna Clean Patna का भी पक्षधर रहा है और उसी के तहत जजेज कोर्ट रोड जहाँ गंदगी का अंबार फैला रहता था तथा लोग इस रास्ते से नाक पर रूमाल रख कर चला करते थे उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया एवं अलग से एक कूड़ा घर का निर्माण भी कराया है।

चैम्बर सरकार के आर्थिक क्षेत्र में उत्प्रेरक का कार्य करता है जिससे राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों में प्रगति हो सके। चैम्बर अपनी विचार धारा एवं अपने दृष्टिकोण में पूर्णत: एक अराजनैतिक समाजसेवी संस्था है जो अपने स्थापना काल से ही राज्य की आर्थिक समृद्धि में सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करता रहा है।

महामहिम जी राज्य सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो न केवल ऐतिहासिक हैं बल्कि समाज में बड़े सकारात्मक बदलाव के कारक बने हैं। राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू करने का निश्चय इनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी इस निर्णय को कार्यान्वित किए एक साल भी नहीं हुआ है और इसका सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश में दिखने लगा है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार चैम्बर सरकार के इस मुहिम का न केवल समर्थन करता है बल्कि स्वयं को अपने स्तर से भी इस मुहिम का भागीदार भी मानता है।

राज्य सरकार ने आर्थिक संप्रभुता एवं समेकित विकास के लिए पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनके फलस्वरूप बिहार आज एक तेजी से विकासशील होते हुए राज्य के रूप में स्थापित हो गया है तथा यहाँ निवेशोनमुखी माहौल का सृजन हुआ है। हम राज्य सरकार की दूरदर्शिता, कर्मठता तथा बिहार की सांस्कृतिक जड़ो को सुदृढ़ करते हुए राज्य को विकास के अर्न्तराष्ट्रीय मानकों तक ले जाने के सरकार के निश्चय एवं संकल्प ने बिहार को एक नई पहचान दी है। राज्य सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के अनेक निर्णय लिए हैं जिनके लिए हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

महामहिम जी आपके कर-कमलों द्वारा जिस चैम्बर कॉफी टेबुल बुक का आज लोकार्पण होना है इसके विषय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यह किताब न केवल चैम्बर पर इनसाइक्लोपीडिया है बल्कि यह पुस्तक नये उद्यमियों के साथ-साथ पुराने उद्यमियों एवं व्यवसायियों का सम्पूर्ण मार्गदर्शन करने में भी सक्षम है। हम महामहिम जी के आभारी है कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर इसके लोकर्पण करने की अपनी कृपापूर्ण सहमति प्रदान की।

चैम्बर के कॉफी टेबुल बुक को तैयार करने में श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल ने काफी मेहनत किया है। इस कार्य में महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कार्यालयकर्मियों का भी सहयोग उन्हें मिला है। इसके लिए मैं श्री खेतड़ीवाल एवं श्री शशि मोहन को विशेष धन्यवाद देता हूँ।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं चैम्बर की तरफ से हमारे दिवंगत अध्यक्षों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चैम्बर को इस मुकाम तक पहुँचाने में हमारे माननीय अध्यक्षों ने महती भूमिका अदा की है। वार्षिक समारोह के अवसर पर हम अपने पूर्व अध्यक्षों एवं वरिष्ठतम 9 सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित करने जा रहे हैं। इस सम्मान के द्वारा हम इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर दरअसल अपने-आपको भी सम्मानित कर रहे हैं।

समारोह को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

महामहिम जी, आपकी सरकार ने आर्थिक विकास के लिए जो नीतियाँ बनाई है तथा जिन कार्यक्रमों पर कार्यशील है उसकी प्रशंसा देश-विदेश में की जा रही है परन्तु बिहार जो दशकों से पिछड़ेपन का शिकार रहा है। यह राज्य अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय औसत के पैमाने पर पिछड़ा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का भी यह स्पष्ट मत था कि बिहार के सम्पूर्ण विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है।

महामहिम, राज्य के त्वरित विकास हेतु केन्द्र सरकार की विशेष सहायता की आवश्यकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आश्वासन ही नही दिया है बल्कि इस विषय पर केन्द्र सरकार गंभीर भी है। इसके लिए हम केन्द्र सरकार का साधुवाद करते हैं।

महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने हेतु गत् 8 नवम्बर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गयी। जिसका बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी स्वागत किया था। देश के अधिकांश नागरिकों ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। यह सही है कि तत्कालिक रूप में करेंसी की कमी से उद्योग एवं व्यवसाय पर असर पड़ रहा है लेकिन भविष्य में गलत तरह से व्यवसाय करने वाले लोग Eliminate हो जायेंगे और देश का विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

भारत सरकार द्वारा कैशलेस सोसाईटी के क्रम में डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहन देने के लिए डिजिधन जैसे कार्यक्रमों को लागु किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है। इस विषय पर दिनांक 3 दिसम्बर, 2016 को चैम्बर प्रांगण में एक संगोष्ठि का आयोजन किया गया जिसे माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने संबोधित किया।

मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को विशेषकर हमारे साथ सेवानिवृत हो रहे उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी को जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा जिनसे मुझे भरपूर सहयोग मिला। महामंत्री श्री शशि मोहन अभी अगले सत्र में भी रहेंगे उनका भरपूर सहयोग मुझे मिला है एवं हमेशा छोटे भाई की तरह मेरी बातों का अनुसरण किया है।

मैं चैम्बर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा कार्यकारिणी के नये सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

मैं समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के तमाम प्रतिनिधियों, संवाददाताओं तथा सम्पादकों को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को सरकार एवं जन-जन तक पहुँचाते रहे हैं।

मैं इस अवसर पर चैम्बर कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने सच्ची लगन से चैम्बर के कार्यों को आगे बढ़ाया एवं अपनी सेवाएं प्रदान की।

चैम्बर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से अब तक लगभग 1100 महिला प्रशिक्षुओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चैम्बर का प्रयास होगा कि प्रशिक्षित महिलाओं से फीडबैक प्राप्त कर

समारोह को संबोधित करते चैम्बर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

आगे की रणनीति तय की जाय ताकि उन प्रशिक्षित महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके साथ ही, प्रशिक्षण को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने आगे कहा कि अभी तक मात्र 80 हजार का ही जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है जब कि 80 हजार रजिस्ट्रेशन और होना है। इस संबंध में आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए। जीएसटी एक प्रमुख मुद्दा है। व्यापारियों के लिए इसके प्रावधान नये हैं। सबों को जानकारी देने और जीएसटी से जोड़ने के लिए चैम्बर की तरफ से अभियान चलाया जायेगा ताकि जीएसटी का लाभ सभी व्यापारियों को मिले। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी से भी प्रदेश का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके असर से निदान हेतु नई रणनीति बनाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के चालू खाते से 50 हजार रूपये एवं बचत खाते से 24 हजार रूपये निकालने की सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होने कहा चैम्बर की ओर से मांग की जायेगी कि चालू खाते की निकासी की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख एवं बचत खाते की सीमा को ढ़ाई लाख रूपये किया जाये।

उन्होंने कहा कि 2011 की तुलना में औद्योगिक नीति 2016 में सहूलियत कम हो गयी है। सरकार से अनुरोध है कि इस कटौती को वापस लेकर औद्योगिक प्रगति को पहले के समान रखा जाये।

श्री अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर की तरफ से बिजली पर भी फोकस होगा। बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं। हमारी कोशिश होगी कि बिजली की दरों में वृद्धि व्यापारियों के अनुकूल हो।

बिहार चैम्बर के गौरवशाली अतीत की ब्रांडिंग पूर्व से हो रही है। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रखा जायेगा। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि चैम्बर व्यापारियों एवं उद्यमियों के हितार्थ सक्रिय रहेगी।

वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में चैम्बर की भूमिका अहम रही है। राज्य के नीति निर्माण में चैम्बर सरकार एवं उद्यमियों के बीच एक सेतु का काम करता है। औद्योगिक नीतियों के निर्धारण में राज्य सरकार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करती है।

समारोह को संबोधित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह।

उन्होंने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। हमारे सरकार की परिकल्पना बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने की है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार की आधी से अधिक आबादी युवा वर्ग की है। इसके लिए राज्य सरकार युवकों के लिए नई उद्योग नीति लायी है इसके साथ ही नये तरीके से सिंगल विण्डो प्रणाली शुरू की गयी है। इससे युवा वर्ग लाभान्वित होंगे।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षो में औद्योगिक नीति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है, उसकी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पायी है। बिहार की ब्रांडिंग वृहत स्तर पर होनी चाहिए। इसमें उद्योग जगत से जुड़े लोग अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। चाहे वे अपना कारोबार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चण्डीगढ़ में रहकर करते हों। उसका लाभ राज्य के आर्थिक विकास में मिलेगा। वर्तमान परिवेश में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गयी है। महामहिम ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में काम करने की और आवश्यकता है।

महामहिम ने आगे कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार की समस्या से देश का हरेक वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे मुक्ति की दिशा में नोटबंदी एक सार्थक प्रयास है। इसके फलस्वरूप समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को तो राहत मिलेगी ही, वित्तीय एवं व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता से उद्योग एवं व्यापार जगत भी लाभान्वित होगा।

राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु राज्य सरकार ने 'प्रोत्साहन नीति' घोषित की है, उसमें भी यथासमय आवश्यकताओं के अनुरूप यदि परिमार्जन जरूरी हो, तो चैम्बर को सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहना चाहिए।

समारोह को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द।

उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार चैम्बर राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए उठाए गये सकारात्मक कदमों में अपना भरपूर समर्थन देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चैम्बर का पूरा सहयोग राज्य और केन्द्र सरकार को प्राप्त होगा ताकि बिहार विकसित एवं समृद्ध प्रदेशों के रूप में भारत के मानचित्र पर स्थापित हो सके।

महामहिम राज्यपाल ने कहा कि बिहार राज्य, जिसकी अर्थव्यवस्था मूलरूप से कृषि पर आधारित है, यहाँ खाद्य प्रसंस्करणों पर उद्योग-धंधो का विकास निहायत जरूरी है। बिहार चैम्बर इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चैम्बर गतिशील सेवा-संगठन है, जो उद्योग और वाणिज्य के विभिन्न धरातलों पर राज्य में विकास की अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि चैम्बर सरकार के लिए आर्थिक क्षेत्र में उत्प्रेरक का कार्य करता है ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार में प्रगति हो और रोजगार के अवसरों का श्रृजन हो सके। प्राकृतिक आपदाओं में भी पीड़ितों की सहायतार्थ राहत के कार्यक्रमों में भी चैम्बर ने सदैव ही अग्रणी भूमिका निभाई है। अन्त में महामहिम ने सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दी।

समारोह के दौरान महामहिम ने ''चैम्बर कॉफी टेबुल बुक'' का विमोचन किया। इस कॉफी टेबुल में चैम्बर के इतिहास को समेटने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने चैम्बर द्वारा 90वीं वर्षगांठ उत्सव के उपलक्ष्य में बनाये गये मेमेन्टो प्रदान कर चैम्बर के **पूर्व अध्यक्षों** में श्री पी. के. अग्रवाल एवं श्री मोतीलाल खेतान, **पुराने सदस्यों** में (1) श्री बिहारी जी मिल्स लि. के श्री ओ. पी. साह, चैम्बर अध्यक्ष (2) भारत सुगर मिल्स के श्री रवि सिंह, (3) लॉली सेन एंड कंपनी के श्री अजीत कुमार सिन्हा (4) श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. के श्री प्रमोद कुमार शर्मा (5) गंगा प्रसाद जगरनाथ प्रसाद के श्री संजय गोलवारा (6) भानामल एण्ड कम्पनी प्रा. लि. के श्री अखिलेश कुमार सिंह (7) भारतीय वस्त्रालय के श्री अमर चौधरी (8) बी. गुप्ता एण्ड कम्पनी के श्री एस. पी. सिन्हा एवं **चैम्बर पदाधिकारियों** में अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री शशि मोहन को सम्मानित किया।

दो पूर्व अध्यक्षों में महाराजा कमल सिंह एवं श्री पी. एल. खेतान एवं दो पुराने सदस्यों में सर्वश्री राम नारायण बद्रीदास एवं गिल्लूराम गौरीशंकर समारोह में उपस्थित नहीं हो पाये।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने महामहिम राज्यपाल एवं माननीय उद्योग मंत्री को चैम्बर का मेमेन्टो एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया।

उक्त अवसर पर बैंको के अधिकारी एवं गणमान्य महानुभावों के अतिरिक्त आद्री के श्री शैवाल गुप्ता, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, पी.एच.डी. चैम्बर, पटना चैप्टर के अध्यक्ष श्री सत्यजीत सिंह, विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

समारोह का मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने किया।

89वीं वार्षिक आम सभा एवं 90वीं वर्षगाँठ उत्सव समापन समारोह की झलकियाँ

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को अर्केरिया का पौधा देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

माननीय उद्योगमंत्री मंत्री श्री जय कुमार सिंह को अर्केरिया का पौधा देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। साथ में महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। साथ में माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह एवं नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।
साथ में नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

89वीं वार्षिक आम सभा एवं 90वीं वर्षगाँठ उत्सव समापन समारोह की झलकियाँ

चैम्बर कॉफी टेबुल का विमोचन करते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। दाँयीं ओर क्रमशः माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन एवं नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

महामहिम राज्यपाल से सम्मान ग्रहण करते चैम्बर के पूर्व एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

महामहिम राज्यपाल से सम्मान ग्रहण करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते श्री बिहारी जी मिल्स लि. के श्री ओ. पी. साह (चैम्बर अध्यक्ष)।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते भारत सुगर मिल्स लि. के श्री रवि सिंह।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते लॉली सेन एवं कम्पनी के श्री अजीत कुमार सिन्हा।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

89वीं वार्षिक आम सभा एवं 90वीं वर्षगाँठ उत्सव समापन समारोह की झलकियाँ

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते
गंगा प्रसाद जगरनाथ प्रसाद के श्री संजय गोलवारा।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते
भानामल एण्ड कम्पनी प्रा. लि. के श्री अखिलेश कुमार सिंह।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते
भारतीय वस्त्रालय के श्री अमर चौधरी।

महामहिम राज्यपाल से पुराने सदस्य का सम्मान ग्रहण करते
बी. गुप्ता एण्ड कम्पनी के श्री एस. पी. सिन्हा।

महामहिम से सम्मान ग्रहण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

महामहिम से सम्मान ग्रहण करते उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया।

महामहिम से सम्मान ग्रहण करते उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल।

महामहिम से सम्मान ग्रहण करते कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी।

89वीं वार्षिक आम सभा एवं 90वीं वर्षगाँठ उत्सव समापन समारोह की झलकियाँ

महामहिम से सम्मान ग्रहण करते महामंत्री श्री शशि मोहन।

सभागार में चैम्बर कॉफी टेबुल बुक का अवलोकन करते सम्मानित अतिथि एवं सदस्यगण।

महामहिम से सम्मान के रूप ने प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर बैठे चैम्बर के पुराने सम्मानित सदस्यगण एवं अतिथिगण।

समारोह में धन्यवाद ज्ञापन करते चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल से विचार-विमर्श करते माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह।

सभागार में उपस्थित सम्मानित सदस्यगण एवं अतिथिगण।

समारोह में राष्ट्र-गाण के समय खड़े महामहिम राज्यपाल, माननीय उद्योग मंत्री, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण।

चैम्बर की 89वीं वार्षिक आम सभा का व्यवसायिक सत्र सम्पन्न

श्री पी. के. अग्रवाल सातवीं बार निर्विरोध चैम्बर अध्यक्ष निर्वाचित

दिनांक 29 दिसम्बर 2016 को चैम्बर प्रांगण में चैम्बर की 89वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न हुई। आम सभा में श्री पी. के. अग्रवाल सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष तथा श्री विशाल टेकरीवाल, कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री शशि मोहन पुनः महामंत्री निर्वाचित हुए।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। साथ में महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी।

मंचासीन बाँयें से दाँयें उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

आम सभा में सत्र 2016-17 के लिए निम्नलिखित चैम्बर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य निर्वाचित हुए– सर्वश्री अवधेश कुमार, संजीव खुराना, दिलजीत खन्ना, पवन कुमार भगत, राधेश्याम बंसल, राजकुमार, किशोर कुमार अग्रवाल, सुनील कुमार गुप्ता, शशि गोयल, कमल कुमार बोथरा, राजेश कुमार खेतान, सावल राम ड्रोलिया, राजकुमार अग्रवाल, राजकुमार सराफ, अमर कुमार अग्रवाल, गणेश कुमार खेमका एवं अजय कुमार।

वार्षिक आम सभा में उर्जा, उद्योग, वैट, लेबर, सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, रेलवे एवं ट्रांसपोर्ट, सूचना का अधिकार, संगठन जैसे विषयों पर प्रस्ताव पारित किया गया। इन पारित प्रस्तावों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सकारात्मक निर्णय लेने के लिए समर्पित किया जायेगा।

चैम्बर के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण

श्री पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

श्री एन. के. ठाकुर
उपाध्यक्ष

श्री मुकेश कुमार जैन
उपाध्यक्ष

श्री विशाल टेकरीवाल
कोषाध्यक्ष

श्री शशि मोहन
महामंत्री

कैशलेस इकोनॉमी एण्ड डिजिटल पेमेंट पर चैम्बर में कार्यशाला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 3 दिसम्बर, 2016 को ''कैशलेस इकोनॉमी एण्ड डिजीटल पेमेंट'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कार्यशाला की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी के अतिरिक्त माननीय पूर्व उप- मुख्यमंत्री बिहार, श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजीव चौरसिया, श्री संजय

श्री रविशंकर प्रसाद माननीय केन्द्रीय कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को चैम्बर का मेमेन्टो भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। साथ में पूर्व उप-मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी एवं अन्य।

मयूख एवं विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारीगण, UIDAI के अपर महानिदेशक श्री राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे।

सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने अर्केरिया का पौधा भेंटकर माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं माननीय विधायक श्री संजीव कुमार चौरसिया का स्वागत किया।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय Cashless Economy पर परिचर्चा के लिए और उस पर विस्तृत रूप से जानकारी देने हेतु हमारे बीच पधारने की कृपा की है और यह मौका बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को दिया।

श्री साह ने कहा दोस्तों जैसा कि हमसब जानते हैं कि दिनांक 8 नवम्बर 2016 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 के करेंसी नोटों के बन्दी की घोषणा करके जो ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय लिया है उसका देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और यह देश के विकास में एक महती भूमिका अदा करेगा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का तत्क्षण गर्मजोशी से स्वागत किया था तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय प्रतिवद्धता दोहरायी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही ही कहा था कि Long term gain को प्राप्त करने के लिए Short term दिक्कतों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा।

आज यह समय की मांग है कि हम सभी भारतवासी कैशलेस इकोनॉमी व्यवस्था को देश में पूर्णत: लागू करने के लिए तैयार हों तथा इसमें सरकार का पूर्ण सहयोग करें। वर्तमान में नए करेंसी नोटों की कमी के कारण नि:संदेह लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हलांकि सरकारी एजेंसियाँ करेंसी नोटों की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं और ऐसी आशा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह अभाव पूर्णत: समाप्त हो जाएगा। परन्तु कैशलेस इकोनॉमी की अवधारणा को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। कैश आधारित इकोनॉमी भ्रष्टाचार, कालाधन, मनी होल्डींग, हवाला ट्रांजेक्शन, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, जाली नोट आदि जैसी गंभीर समस्याओं की जननी है जो भारत जैसे तेजी से विकासशील देश की विकास गति में न केवल अवरोध पैदा करते हैं बल्कि देश को हर प्रकार से कमजोर भी बनाते हैं। कैशलेस इकोनॉमी से आपराधिक गतिविधियों में भी कमी आएगी साथ ही कैश के रख-रखाव एवं इसके हिफाजत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

कैशलेस प्रणाली व्यापार एवं उद्योग के लिए सबसे अधिक लाभदायक है क्योंकि यह व्यवसायियों को सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार से काफी हद तक मुक्ति प्रदान करता है। साथ ही वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाता है और इसे तीव्र गति प्रदान करता है।

आज एनईएफटी, आरटीजीएस, इनटरनेट बैंकिंग, प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (POS), डेबिट-क्रेडिट-एटीम कार्ड आदि जैसे कई विकल्प हमारे पास हैं जिनके माध्यम से हम बिना कैश के भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। कैश करेंसी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार की एजेंसियाँ विभिन्न प्रकार की नई प्रणालियों एवं श्रोतों को विकसित करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कर रही हैं। आज के इस कार्यशाला में संभवत: इन पर भी प्रकाश डाला जाएगा। हमारे लिए यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम कैश पर अपनी निर्भरता यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। यह देश के नव-निर्माण में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा।

यहाँ पर हम सरकार एवं बैंकों का ध्यान कुछ Practical issues की ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे। हमारे कई सदस्यों ने यह बताया है कि बैकों द्वारा कैश जमा करने पर चार्ज लिया जा रहा है। आज की स्थिति में जब बाजार में बड़े नोटों की कमी है, वैसी स्थिति में व्यवसायियों द्वारा छोटी करेंसी के रूप में जमा करना उनकी मजबूरी बन गयी है। यदि इसके लिए भी बैंक शुल्क की वसूली करती है तो यह सर्वथा एक अनुचित शुल्क ही माना जाएगा। अत: मेरा बैंकों से निवेदन है कि वे इस प्रकार के शुल्क को अविलम्ब समाप्त करें।

हमारा सरकार से यह भी निवेदन है कि पीओएस मशीन, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांजेक्शन, ऑन-लाईन ट्रांजेक्शन आदि को बढ़ावा देने के लिए कम से कम एक वर्ष तक के लिए किसी भी प्रकार के बैंक चार्ज से मुक्त किया जाए जिससे कि कैशलेस इकोनॉमी को अपनाना सुलभ हो सके।

माननीय केन्द्रीय विधि व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास की चर्चा पूरी दुनियां में हो रही है। देश को ईमानदार बनाने की दिशा में नोटबंदी एक कारगर कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश को बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने को कटिबद्ध हैं और वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला अचानक नहीं लिया गया। इस तरह के फैसले अचानक नहीं लिये जा सकते। इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। देश डिजिटल हो रहा है और तेजी से बदल रहा है पर लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं।

माननीय मंत्री ने आगे कहा कि देश की सवा सौ करोड़ की आवादी में एक सौ पाँच करोड़ लोग मोबाईल का इस्तेमाल कर रही है। एक अरब आठ करोड़ लोग आधार से जुड़े हैं। 50 करोड़ लोग इन्टरनेट पर हैं और 35 करोड़ लोगों के पास स्मार्ट फोन है। प्रत्येक माह 65 करोड़ लोग किसी न किसी तरह से नेट का उपयोग करते हैं। आठ नवंबर से पहले हर रोज आठ लाख पंचानबे हजार लोग रूपे कार्ड का प्रयोग करते हैं, यह संख्या 30 नवंबर को रोजाना 13 लाख हो गयी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद एवं माओवादियों की कमर टूट गई है। कैशलेस के चलते भ्रष्टाचार भी पूरी तरह खत्म हो जायेगा। नोटबंदी का समर्थन अप्रवासी भारतीय भी कर रहे हैं। इससे गरीबों और किसानों को फायदा होगा।

उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से कैशलेस इस्तेमाल की विधि बताई। इसके अतिरिक्त ''मेरा मोबाईल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ, बिना कैश के भुगतान मुमकिन है'', नामक बुकलेट का लोकार्पण भी किया। कार्यशाला में कैशलेस के दो विकल्पों पर प्रेजेन्टेशन भी दिये गये।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने UIDAI द्वारा जारी किये गये आधार कार्ड के संबंध में होने वाली समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया। इस पर माननीय मंत्री महोदय ने कार्यशाला में उपस्थित UIDAI के ADG को इसे यथाशीघ्र दुरूस्त करने का निदेश दिया।

कार्यशाला में उपस्थित आई.सी.ए.आई. पटना चैप्टर के चेयरमैन श्री राजेश कुमार खेतान, श्री पी. के. सिंह, श्री एम. पी. बिदासरिया सहित कई सदस्यों ने भी कुछ शंकाएँ एवं सुझाव व्यक्त किये। जिसका संबंधित अधिकारियों ने उत्तर दिया।

कार्यशाला में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया गया कि कैशलेस बैंकिंग की पूर्ण जानकारी हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को प्रशिक्षित किया जाये।

इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को चैम्बर का एक स्मृति चिह्न चैम्बर अध्यक्ष ने भेंट किया।

कार्यशाला में पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल खेतान, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री शशि मोहन, सी.आई.आई. के पटना चैप्टर के चेयरमैन श्री एस. पी. सिन्हा, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण एवं चैम्बर के सदस्यों सहित मीडियाकर्मी काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यशाला सम्पन्न हुई।

ECR Version 2.0 में अन्तर्निहित सुविधाओं की जानकारी हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं चैम्बर द्वारा कार्यशाला आयोजित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को चैम्बर प्रांगण में ECR Version 2.0 में अन्तर्निहित सुविधाओं की जानकारी नियोक्ताओं /प्रतिनिधियों को देने हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला

इसीआर वर्सन-2.0 के संबंध में जानकारी देते इपीएफओ के सहायक आयुक्त श्री मनीष मनी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः इपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त-2 श्री जयदीप चक्रवर्ती, इपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त-1 श्री एस. के. झा, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी एवं श्री व्यास मुनी ओझा।

की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल ने की। कार्यशाला में ई.पी.एफ.ओ., बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त-1 श्री एस० के० झा, क्षेत्रीय आयुक्त-2 श्री जयदीप चक्रवर्ती एवं सहायक आयुक्त श्री मनीष मनी सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा आयोजित इस उपयोगी कार्यशाला जो ''इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर वर्जन-2)'' विषय पर आयोजित की गई है, में उपस्थित अधिकारियों एवं चैम्बर के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने श्री एस० के० झा एवं श्री जयदीप चक्रवर्ती साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दिया जिन्होने राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को नए पोर्टल और ई.सी.आर. वर्जन-2 की विस्तृत जानकारी देने हेतु आज की यह कार्यशाला आयोजित करने का अवसर चैम्बर को प्रदान किया है।

उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नए पोर्टल और ईसीआर वर्जन-2 के माध्यम से नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों का अंशदान जमा करने में सहजता होगी। साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े अन्य सारे कार्यों में भी सहजता होगी।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए ई.पी.एफ.ओ. बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त-1 श्री एस० के० झा ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) का नया इलेक्ट्रानिक चालान रिर्टन (ECR) का नया वर्जन 2.0 काफी सरल है, इसे यूजर फ्रेंडली बनया गया है। इसे लागू करने में नियोक्ताओं का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि उसके बिना कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में किसी कर्मचारी के संबंध में अलग-अलग 25 तरह की सूचनाएं देनी पड़ती थी, लेकिन अब केवल 11 सूचनाएं ही देनी होगी। श्री झा ने आगे कहा कि पी.एफ. के लिए अब यूएएन नंबर अनिवार्य हो गया है। यू.ए.एन. नम्बर के लिए बैंक खाता और आधार कार्ड नम्बर होना जरूरी है। इस कार्य में नियोक्ताओं की भूमिका अहम है, उनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव ही नहीं है। उन्होंने नियोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन बैंक खाता में ही दें। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कम्पनी बदलने पर अब अलग-अलग पी.एफ. नम्बर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ युनिवर्सल एकाउंट नम्बर (UAN) से ही काम चलेगा। कम्पनी बदलने की स्थिति में भी UAN नंबर वही रहेगा।

ई.पी.एफ.ओ. के क्षेत्रीय आयुक्त-2 श्री जयदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पेंशनर के लिए डिजीटल लाईफ सर्टिफिकेट जमा करने की योजना है। इसके लिए बैंको से विशेष काउंटर खोलने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी के के.वाई.सी. (KYC) के लिए बैंक खाता और आधार नम्बर की जानकारी अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त ई.पी.एफ.ओ. के सहायक आयुक्त श्री मनीष मनी ने पावर प्वाईन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से ECR Version-2.0 के संबंध में सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी।

कार्यशाला में चैम्बर के श्रम उप-समिति के संयोजक डॉ० बी. बी. वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया के पटना चैप्टर के चेयरमैन श्री राजेश खेतान सहित कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताई जिसका उत्तर ई.पी.एफ.ओ. के अधिकारियों ने दिया।

उक्त अवसर पर कई प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं, कंपनियों के मानव संसाधन एवं पी.एफ. का काम देखने वाले प्रतिनिधियों सहित चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यशाला सम्पन्न हुई।

अखबार संग्रह करने में भी चैंबर का जवाब नहीं

लाजवाब कोशिश : वर्ष 1958 से अब तक का अखबार चैम्बर के पुस्तकालय में उपलब्ध

अगर आपको 55-60 वर्ष पुराने अखबार की जरूरत पड़ जाए तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पुस्तकालय की ओर रुख कर सकते हैं। 90 वीं वर्षगांठ पर विभिन्न अख़बारों को करीने से सहेज कर पुस्तकालय को नया रूप दिया गया है। इसकी जानकारी शनिवार 17.12.2016 को चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने दी। उन्होंने कहा कि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स संस्थान के शोधकर्ता डी. सी. बधवा ने भी अपनी पुस्तक में इस पुस्तकालय का उल्लेख किया है।

उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि बिहार गजट से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारी की तलाश में मैं कई जगह गया लेकिन जो तथ्य बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पुस्तकालय में मिलीं, वे अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई दी।

श्री साह ने कहा कि यहाँ 10 ऐसे पुराने समाचार पत्रों के संग्रह हैं जिनकी उपस्थित पटना में 1958 से है। अलावा, 16 अन्य समाचार पत्रों के भी संग्रह हैं जो पिछले 15 से 20 साल के बीच यहाँ आए। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न

दैनिक जागरण की पुरानी प्रति दिखाते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनके पीछे बाँयें से क्रमशः उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं लाइब्रेरी एंड बुलेटिन उप समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद।

विषयों से जुड़ीं 5055 पुस्तके भी हैं। 90वीं वर्षगांठ पर इस पुस्तकालय का भी कायाकल्प करने की कोशिश की गई। इसमें महामंत्री शशि मोहन, गणेश खेतड़ीवाल और रामचन्द्र प्रसाद की भूमिका सराहनीय है। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, लाइब्रेरी एंड बुलेटीन उप समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद एवं कौशल विकास उप समिति के संयोजक श्री मुकेश जैन भी उपस्थित थे। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.12.2016)**

चैम्बर ने दिव्यांग आरती को दिया इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन

चैम्बर द्वारा प्रशिक्षित दिव्यांग आरती को सिलाई मशीन प्रदान कर पुरस्कृत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनकी दाँयीं ओर महामंत्री श्री शशि मोहन एवं लाइब्रेरी एंड बुलेटिन उप समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद। बाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन।

चैम्बर के अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने दिनांक 17.12.2016 को दिव्यांग आरती को इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का पुरस्कार दिया। दरअसल, पिछले दिनों चैम्बर के कौशल विकास केन्द्र के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उनकी नजर आरती पर पड़ी। दिव्यांग होने के बावजूद आरती के स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाने से वे प्रभावित हुए। साथ ही प्रमाण पत्र वितरण समारोह में ही इलेक्ट्रिक मशीन का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। आरती ने कहा कि महिलाओं के लिए बिना शुल्क कौशल विकास केन्द्र संचालित करना सराहनीय है। जरूरतमंदों के लिए यह किसी मंदिर से कम नहीं है। ओ. पी. साह के प्रति आरती ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, लाइब्रेरी एंड बुलेटीन उप समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद, कौशल विकास उप समिति के संयोजक श्री मुकेश जैन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन भी उपस्थित थे। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.12.2016)**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने खोला जीएसटी हेल्प डेस्क

चैम्बर में स्थापित जीएसटी हेल्प डेस्क में जीएसटी में निबंधन कराते व्यवसायीगण।

बिहार में जीएसटी निबंधन की प्रक्रिया 30 नवम्बर, 2016 से शुरू हुई जो 22 दिसम्बर, 2016 तक चली। वैसे व्यवसायी जो वैट के अन्तर्गत पंजीकृत थे उन्हें जीएसटी में निबंधन कराना था। चैम्बर अधयक्ष श्री ओ. पी. साह ने बताया कि नई कर प्रणाली जीएसटी के अंतर्गत निबंधान प्राप्त करना बेहद अहम है। वाणिज्य-कर विभाग ने अपने अलग-अलग अंचलों में व्यवसायियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क खोल रखा था। इसमें जीएसटी का पंजीयन किया गया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के परिसर में भी हेल्प डेस्क लगाया गया था। 30 नवम्बर, 2016 से जारी इस हेल्प डेस्क में व्यवसायियों को जीएसटी की निबंधन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही निबंधन सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायियों का मार्गदर्शन भी किया गया। हेल्प डेस्क 15 दिसम्बर, 2016 तक चैम्बर परिसर में कार्यरत रहा।

दीर्घकालिक लाभ पाने को झेलें तात्कालिक दिक्कत

दीर्घकालिक लाभ के लिए तात्कालिक दिक्कतों का सामना करने के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। नोटबंदी कालेधन को बाहर लाने का एक अच्छा प्रयास है। इससे कालेधन में कमी आयेगी। जो बिना हिसाब किताब के हैं ऐसे पैसे बैंकों में जमा नहीं किये जा सकेंगे और न ही बदले जा सकेंगे। कैशलेस व्यवसाय और कैशलेस सोसाइटी का निर्माण समय की जरूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से भी केश कैरी करने की बजाय कैशलेश ट्रांजेक्शन बेहतर है। इसमें ग्राहक के साथ व्यवसायी भी निश्चिन्त रहता है। अब तक हमारा माइंड फ्रेम परंपरागत भुगतान के माध्यम से करोबार करने का रहा है।

ऐसे में माइंड फ्रेम को अचानक बदलना और कैशलेस ट्रांजेक्शन के अनुकूल बनाना चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरा है। लेकिन, भविष्य के हितों को देखते हुए ऐसा करना होगा और इसके लिए सभी को मिल कर प्रयास करने होंगे। नोटबंदी के फैसले से देश का विकास होगा व लोगों को लाभ मिलेगा।

– ओ. पी साह, प्रेसीडेंट, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 10.12.2016)

20 करोड़ से ऊपर के निवेश पर लगेगा 5000 रू. शुल्क

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की इजाजत के लिए शुल्क निर्धारित किया गया

राज्य में लगने वाले उद्योगों के लिए विभिन्न निवेश सीमा के तहत शुल्क तय कर दिए गए हैं। 20 करोड़ से ऊपर के निवेश करने पर 5000 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत राज्य निवेश प्रोत्याहन परिषद (एसआईपीबी) से उद्योग लगाने की इजाजत लेने के लिए ये शुल्क तय किए गए हैं। पर्षद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विकास आयुक्त के अध्यक्षता में एसआईपीबी का गठन किया गया है।

पर्षद की सहमति के लिए पहले से मिले लंबित प्रस्तावों के बारे में निर्णय लिया गया कि सामान्य आवेदन फार्म (सीएएफ) में नए सिरे से प्रस्ताव लिए जाएं। इसके लिए पूर्व में जमा शुल्क ही मान्य होंगे। फिर से फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है। नए-पुराने उद्योगों के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा।

वहीं, नई यूनिट के प्रस्ताव पर पर्षद का अनुमोदन लेने के लिए कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म-1 और मौजूदा इकाइयों के लिए कॉमन एप्लिकेशन फार्म-1ए में आवेदन करना होगा। आंशिक संशोधन के बाद ये फॉर्म ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे।

अलग-अलग निवेश सीमा के लिए शुल्क

50 लाख रुपए तक	–	1000 रुपए
50 लाख से ऊपर 20 करोड़ तक	–	3000 रुपए
20 करोड़ रुपए से उपर	–	5000 रुपए

(साभार : हिन्दुस्तान 07.12.2016)

बिहार के उद्यमियों को मिला न्योता

ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए-एप्मा) ने मुम्बई में होने वाले प्लास्टविजन इंडिया-2017 में बिहार के प्लास्टिक उद्योग से जुड़े उद्यमियों को आमंत्रित किया है। एसोसिएशन के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन अमर सेठ ने कहा कि मुम्बई में यह आयोजन 19 से 23 जनवरी 1917 तक होगा। यह प्लास्टिक आधारित उद्योगों की भारत में सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें 25 देशों की 1500 से अधिक कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। हमलोग इस महत्वपूर्ण आयोजन में बिहार के प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं को भी आमंत्रित करने आए हैं।

एप्मा बिहार चैप्टर के संयोजक रमेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी इस कड़ी का 10वाँ आयोजन है। पटना में इस उद्योग से जुड़े लोगों के साथ रोड शो का आयोजन किया गया। **(हिन्दुस्तान, 7.12.2016)**

बिहार का बकाया पाँच हजार करोड़ देने की सिफारिश नीति आयोग ने केन्द्र से की

नीति आयोग ने केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष योजना के बकाया 5091 करोड़ रुपए के भुगतान की सिफारिश कर दी है। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना लोहिया पथ चक्र समेत 12वीं योजना में स्वीकृत बिजली की 8 और पथ निर्माण की एक परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार ने नीति आयोग से 5091 करोड़ रुपए मांगे थे। इसमें लोहिया पथ चक्र पर 391 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। बिहार की मांग पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने आयोग से बिहार सरकार की मांग की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था।

आयोग में सलाहकार (बिहार प्रभारी) ने अपनी रिपोर्ट में राज्य को राशि देने की अनुशंसा कर दी है। इससे मामला पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के पाले मे चला गया है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने योजना एवं विकास विभाग, ऊर्जा विभाग और पथ निर्माण विभाग को यह जानकारी देकर उनसे केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के सीधे संपर्क में रहने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली के सामने कई बार उठा चुके हैं। पहले तो आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन जब मंत्रालय ने उससे रिपोर्ट मांगी तो रकम देने की सिफारिश कर दी गई।

अपने स्रोतों से राज्य सरकार ने 1600 करोड़ रुपये किया खर्च

स्पेशल प्लान के तहत बिजली की 8 और पथ निर्माण विभाग की एक परियोजना के लिए बिहार को 11088 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें बिहार को 5997 करोड़ रुपए ही मिले। इस पर योजना विभाग ने वर्ष 2016-17 में बिजली की 8 परियोजनाओं के लिए 4476 करोड़ रुपए और पथ निर्माण की एक परियोजना के लिए 614 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा था। वैसे इस परियोजना पर केन्द्र से अब तक मिली रकम के अलावा राज्य सरकार ने अपने स्रोतों से लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.12.2016)

GST के लिए अभी माकूल नहीं माहौल

इनडायरेक्ट टैक्स के सरलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) जिसे 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया जाना है। लेकिन वर्तमान में इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ी परेशानी आ रही है। चूँकि यह पहला मौका है और अभी अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि क्या उन्हें भी जीएसटी के लिए रजिस्टर करना होगा या नहीं, या जो रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार की सहुलियतें मिल सकती हैं और रजिस्टर करने के दौरान परेशानियों के समाधान के लिए क्या करें, इन सभी समस्याओं के निराकरण में दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इस दिशा में अब तक इसके पटना ब्रांच की ओर से इस संबंध में जागरूकता के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

समझे क्या है जीएसटी : जीएसटी एक इनडायरेकट टैक्स है, जो कि उपभोग (कंज्यूम) करने वाले को देना होगा। इस प्रकार जिस राज्य में सामान की बिक्री अधिक होगी उपभोग करने वाले लोग अधिक होंगे, उस राज्य को इस नई व्यवस्था का लाभ होगा, विगत 16 सितम्बर, 2016 को कंस्टीट्यूशन एमेडमेंट बिल पास हो गया है।

इस बिल की खास बात यह है कि पहले टैक्स के मामले में जो शक्तियां राज्य के पास थी, वह केन्द्र के पास चली गई है। इससे जीएसटी की राह आसान बनी और जीएसटी कार्उंसिल का गठन हो गया है। इसमें दो तिहाई वोटिंग राइट राज्यों के पास है जबकि एक तिहाई केन्द्र सरकार के पास है। जीएसटी का संशोधित ड्राफ्ट लॉ आ चुका है। लेकिन स्टेकहोल्डर की राय मांगी जा रही है।

अभी एक पेंच फंस रहा है : 23 दिसम्बर 2016 को जीएसटी काउंसिल की हुई मीटिंग में सीजीएसटी और एसजीएसटी के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी मिल गई है। लेकिन आईजीएसटी को लेकर गतिरोध है। आईजीएसटी में केन्द्र और राज्यों के बीच के हिस्से को लेकर यदि कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो एक अप्रैल, 2017 से लागू करने पर संदेह उत्पन्न हो जाएगा।

"अभी यह ट्रांजिशन फेज है। इसमें टैक्स कंसल्टेंट की बड़ी भूमिका होगी। आईसीएआइ, पटना ब्रांच जीएसटी को सफल और इसकी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चला रहा है। छह माह में इसके द्वारा सैकड़ों रिसोर्स पर्सन तैयार किया गया है।"

– राजेश कुमार खेतान, प्रेसिडेंट आईसीएआई, पटना ब्रांच

"बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए जीएसटी को लागू कराने में सबसे बड़ी समस्या डिजिटाइजेशन की है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ डिजिटाइजेशन पूअर है। जीएसटी का रिजस्ट्रेशन पेपरलेस होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा।" **– पी. के. अग्रवाल,** पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज

जीएसटी पोर्टल पर ये है परेशानी

1. आधार बेस्ड सिग्नेचर को इनेबल नहीं किया गया है। जिसके कारण एआरएन नहीं कर पाये हैं। हालांकि प्रोफाइल अपलोडिंग आसान है।
2. रजिस्ट्रेशन पैन पर आधारित है। सिर्फ एक ही बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले रहा है। मल्टीपल बिजनेस ऑनर के लिए ऑप्शन नहीं है।
3. पचएसएन कोड केवल पाँच वस्तुओं को सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन देता है। इसमें मैन्यूफैक्चर को ध्यान में रखा गया है, ट्रेडर का नहीं।
4. पोर्टल पर डेट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे है। डेट फिलिंग को यूजर फ्रेडली बनाना होगा।
5. जिन उपभोक्ताओं का पॉप-अप नहीं खुल पा रहा है। उन्हें रजिस्ट्रेशन का मौका देने की जरूरत है।

इन्हें देना होगा जीएसटी : एक बड़ा सवाल है कि किसे जीएसटी देना होगा। इसके लिए वे सभी लोग शामिल होंगे, जो कि नीचे दिए गए किसी भी टैक्स को पे कर रहे हैं। इन सभी को जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। • सेंट्रल एक्साइज • सर्विस टैक्स • वैट • इंट्री टैक्स • लग्जरी टैक्स • इंटरटेनमेंट टैक्स

(साभार: आई नेक्स्ट, 27.12.2016)

10 जिलों के 50, 000 बुनकरों का अपडेट होगा डाटा

बिहार के 10 बुनकर बहुल जिलों के हस्तकरघा बुनकरों का डाटा अपडेट होगा। नये साल में बिहार के बुनकरों का अप-डेट डाटा केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के वेबसाइट से जुड़ जायेगा। केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के वेबसाइट से बिहार के बुनकरों का डाटा अटैच होने के बाद सूबे के बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा और बुनकर मुद्रा योजना का लाभ मिलना आसान हो जायेगा। उद्योग विभाग और हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय 17 से 30 जनवरी तक दर्सो जिलों में बुनकरों के डाटा-अपडेट के लिए विशेष अभियान चलायेगा। अभियान की जिम्मेवारी विभाग ने तकनीकी पर्यवेक्षकों और सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को दिया है। सूबे के औरंगाबाद, बांका, रोहतास, मधुबनी, गया, सीवान, कैमूर, नवादा, पटना और नालंदा में 50 हजार से अधिक हस्तकरघा बुनकर हैं। हस्तकरघा- रेशम निदेशालय ने अपने स्तर पर चार वर्ष पहले उनका डाटा तैयार तो किया है, परंतु उसे प्रतिवर्ष अपडेट नहीं किया जा रहा।

यही नहीं, अब-तक केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय से बिहार के बुनकरों का डाटा भी अटैच नहीं किया गया है। केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय से डाटा अटैच न होने के कारण यहाँ के बुनकरों को केन्द्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल पा रहा। डाटा-अपडेटिकरण अभियान के दौरान हस्तकरघा एवं रेशम विभाग बुनकरों को बड़ा तोहफा भी देगा। डाटा से जुड़े सभी बुनकरों को विभाग फोटो पहचान पत्र निर्गत करेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 23.12.2016)

मुर्गी फार्म खोलने के लिए मिलेगी सरकारी मदद

• 78 अरब से अधिक है देश में अंडे का उत्पादन • 7.32 करोड़ है बिहार में प्रति वर्ष अंडा उत्पादन

राज्य में आम लोगों को मुर्गी फार्म खोलने में सरकार की मदद मिलेगी। निजी क्षेत्र में ऐसे फार्म खोलने पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। अंडा उत्पादन में राज्य को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को चलाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक निजी क्षेत्र में पाँच हजार व 10 हजार की क्षमता वाले

लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना की जा सकती है। इस पर सामान्य जाति के लाभुकों को 30 प्रतिशत और अनुसुचित जाति/जनजाति के लोगों को 40 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। साथ ही बैंक के लोन पर भी 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए राशि मंजूर कर ली है।

पाँच हजार की क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल समते) की स्थापना पर अधिकतम 48 लाख व 10 हजार की क्षमता वाले फार्म पर 85 लाख रुपए का खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसमें सामान्य जाति के युवकों को अधिकतम 25.50 लाख का अनुदान मिल सकेगा। दलित समाज के लोगों को 19.20 लाख से लेकर अधिकतम 34 लाख का अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त चार साल तक बैंक लोन ब्याज पर भी अनुदान मिलेगा। अनुदान की यह राशि अधिकतम 7.38 लाख होगी। मुर्गी फार्म खोलने के इच्छुक लोगों का चयन पशुपालन निदेशालय के स्तर पर गठित एक समिति करेगी। लाभूकों को पाँच हजार मुर्गियों की क्षमता वाले फार्म के लिए 0.50 एकड़ भूमि की व्यवस्था खुद करनी होगी। जबकि 10 हजार की क्षमता के लिए कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष के लीज पर मिली भूमि पर भी भुर्गी फार्म की स्थापना की जा सकती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.12.2016)**

आयकर छूट बढ़ाने की तैयारी

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए, कहा-ऐसा माहौल बने कि सभी स्वेच्छा से उचित टैक्स भरें

सरकार करदाताओं को आयकर में छूट देने की तैयारी में है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसे संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर देश में भी करों की दरें कम करने की जरूरत है।

फरीदाबाद में राजस्व सेवा के 68 वें बैच के अधिकारियों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कहा,' अब समय आ गया है कि कर की दरें कम हो, जिससे सेवाओं को अधिक से अधिक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर आय को बढ़ाया जा सके। इससे आगे चलकर सेवाओं में यही महत्वपूर्ण बदलाव नजर आएगा।'

कर चोर नहीं बचेंगे : वित्त मंत्री ने कहा कि जो कर अदा नहीं करते उन्हें गंभीर सजा भुगतान के लिए तैयार रहना चाहिए। जेटली ने कहा कि 70 साल से लोगों के बीच एक धारणा बनी हुई थी कि कर की चोरी कर लेना व्यवसायिक सूझबूझ है, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगी जिससे लोग कर चोरी करने से बच ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह माना जाने लगा कि सरकारी राजस्व की अदायगी नहीं करना कोई अनैतिक काम नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वाजिब कर की अदायगी देश के लोगों का दायित्व है और कर नहीं चुकाने के गभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

ताकि स्वेच्छा से कर अदायगी करें लोग : राजस्व को बढ़ाने का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि आने वाले समय में देश में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे लोग नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से उचित कर की अदायगी करें। उन्होंने उम्मीद जताई की आने वाले दशकों में देश एक ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है जहाँ कर को लेकर लोग स्वयं नियमों का पालन करेंगे।

सिंचाई में निवेश पर जोर : कृषि में सिंचाई के महत्व को रेखांकित करते हुए जेटली ने कहा कि अगर आप निर्माण क्षेत्र में निवेश करते हैं तो इसका प्रभाव देखने में दो-तीन साल लग सकते हैं, लेकिन सिंचाई मे निवेश का असर अगले सीजन में ही दिखने लगता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस पर जोर दे रही है।

मौजूदा छूट : 2.5 लाख रुपये है मौजूदा समय में आयकर छूट सीमा
उम्मीद क्या : 04 लाख रुपये की जा सकती है छूट सीमा अगले बजट में

"अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप टैक्स दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है।"
– अरुण जेटली, वित्त मंत्री

भ्रम दूर किया : वित्त मंत्री ने पीएम के बयान को लेकर पैदा भ्रम को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, शेयर की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ का मुद्दा संवेदनशील है।

कर सुधार के लिए कदम : • मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही कर सुधारों के लिए कई कदम उठाए • कर चुकाने वालों की सुविधाओं को बढ़ावा देने और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने पर जोर दिया • डिजिटल तरीके से विभिन्न करों को चुकाने की प्रक्रिया लागू कराई। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.12.2016)**

डिक्लेयर करें कैश तो न होगी प्रॉब्लम

पीएम नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद बैंकों में डिपॉजिट का बोझ बढ़ने लगा है। कई लोग ब्लैकमनी को खपाने के लिए तरह-तरह के पैतरे अपना रहे हैं। जिसके चक्कर में जाँच के दायरे में भी आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कानून के पचड़े में नहीं फसना चाहते हैं और अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं तो सरकार आप पर कोई मुकदमा नहीं चलाएगी। लेकिन कई लोग सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण दलालों के चक्कर में फंसकर अपने आपको भी फंसा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप देशहित के लिए सरकार की इस योजना में सहभागिता कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75 परसेंट टैक्स और 10 परसेंट पेनल्टी लगेगी। साथ ही व्यक्ति जाँच के घेरे में आ जाएगा। इस स्कीम को ब्लैकमनी रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह देखा जा रहा है। इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी।

जमा राशि पर देना होगा टैक्स : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपके द्वारा जमा की गई राशि का करीब 50 परसेंट हिस्सा सरकार के हिस्से में चला जाएगा और आप पर कोई केस नहीं चलेगा। इसके अलावा डिक्लेयर की गई रकम का 25 परसेंट हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा कराना होगा। इस रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और यह रकम 4 साल तक ब्लॉक रहेगी।

किस तरह करें पैसा डिक्लेयर : • बैंक में पैसा जमा करने के बाद व्यक्ति को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास डिक्लेयरेशन के जरिए पैसा डिक्लेयर करना होगा। • डिक्लेयरेशन के लिए सरकार द्वारा तय फॉर्म भरना होगा और इसके बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा। • डिक्लेयरेशन के साथ आपको बैंक में जमा कराई गई रकम और पर उस पर दिए गए टैक्स का प्रूफ भी जमा कराना होगा। • अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा। • यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्कीम के तहत डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है। **(साभार : आई नेक्स्ट, 4.12.2016)**

ऑनलाइन पेमेंट करने पर सरकार देगी कई रियायतें

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के लेन-देन पर सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी

सरकार ने देश डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 11 सूत्रीय पैकेज की घोषणा की है। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल विकल्पों से भुगतान कर पेट्रोल खरीदना, ट्रेन की टिकट खरीदना और सरकारी बीमा कंपनियों से कार, प्रॉपर्टी, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कराना सस्ता होगा। क्रेडिट-डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल विकल्पों से भुगतान करने पर पेट्रोल सस्ता मिलेगा जबकि ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदने पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मुफ्त मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली ने कहा कि 11 सूत्रीय पैकेज के संबंध में सभी संबंधित सरकारी विभाग अधिसूचना और आदेश जारी करेंगे। उसके बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

जमाओं की जाँच-पड़ताल : फाइनेस मिनिस्टर ने स्पष्ट किया है कि केवल बैंक खाते में जमा कराने से कालाधन, सफेद नहीं होगा। टैक्स देनदारी सुनिश्चित करने के लिए जमाओं की पूरी जाँच-पड़ताल की जाएगी।

कहाँ-कहाँ मिली सर्विसेस पर छूट : • .75% डिस्काउंट मिलेगा डिजिटल मोड से पेट्रोल, डीजल खरीदने वाले लोगों को • 5% डिस्काउंट मिलेगा रेल केटरिंग, रिटायरमेंट रूम जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट

करने पर • 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग पर • 10000 तक की आबादी वाले देश के 1 लाख गांवों में सरकारी फंड से दो प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी • 52000 रुपए के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा • 10% डिस्काउंट मिलेगा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियो के कस्टमर पोर्टल्स से ऑनलाइन पॉलिसी लेने और प्रीमियम चुकाने वालों को, 10% डिस्काउंट जनरल इंश्योरेंस पर, 8% डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पर मिलेगा • केन्द्रीय विभाग और पीएसयू सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांजैक्शन फीस और एमटीआर चार्जेज का बोझ न पड़े • नाबार्ड के जरिए ग्रामीण और सहकारी बैंक 4.32 करोड़ किसान केडिट कार्ड धारक किसानों को रूपे कार्ड देंगे • 0.5% डिस्काउंट मिलेगा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में डिजिल मोड से मंथली कार्ड बनवाने वालों को मुम्बई से होगी पहली शुरूआत • 10% डिस्काउंट मिलेगा टोल प्लाजा और नेशनल हाईवेज में फास्ट टैग-आरएफआईडी कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को • पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो, एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपए से अधिक न हो। • 15% सर्विस टैक्स देना पड़ता है अभी कस्टमर्स को । **(साभार : आई नेक्स्ट, 9 .12.2016)**

50 करोड़ लोग हो सकते हैं कैशलेस, लेकिन पेमेंट के तरीकों में ये कमियां

देश में करीब 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। लोगों के पास 73 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं। इनके अलावा जिनके पास खाते और इंटरनेट नहीं है उनके लिए भी कैशलेस लेन-देन के तरीके हैं। यानी कम से कम 50 करोड़ लोग तो आज से ही कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन कैशलेस के इन तरीकों में कई कमियाँ भी हैं।

एम वॉलेट

अभी सर्वाधिक तेजी से मोबाइल वॉलेट लोकप्रिय हो रहे हैं। इसे डाउनलोड करके अकाउंट से पैसा वॉलेट में भेज सकते हैं। पेटीएम, मोबीक्विक, ऑक्सीजन, फ्री चार्ज आदि लोकप्रिय एम वॉलेट हैं।

दोस्त भेज सकते हैं पैसा : • बड़ी खूबी है कि आपके मित्र भी आपके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं • मूवी टिकिट, बिल पेमेंट और शॉपिंग आदि पर 50% तक डिस्काउंट और कैशबैक • एम वॉलेट में बैलेंस कम होता है इसलिए फ्रॉड की स्थिति में कम नुकसान।

लेकिन बडे ट्रांजैक्शन नहीं : • बिना केवायसी के महीने में अलग-अलग कंपनियों में अधिकतम 20-25 हजार रु तक के पेमेंट हो सकते है, केवाएसी के साथ एक लाख रुपए का पेमेंट हो सकता है • बड़े ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। इसलिए युवाओं और छोटे लेन-देन के लिए ही ज्यादा काम का।

16 करोड़ उपभोक्ता हैं पेटीएम के। यहाँ 10 लाख से अधिक मर्चेंट्स है। वहीं मोबीक्विक के 4 करोड़ यूजर्स हैं।

बैंकिंग एप

लगभग सभी बैंकों के एप आ गए हैं। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)भी एक इंटरफेस है, जिससे आसानी से पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। एसबीआई बडी लोकप्रिय एप है।

मैसेज-ईमेल जैसी बैंकिंग : •मनी ट्रांसफर से लेकर ऑन लाइन खरीदी तक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं • यूपीआई जैसे एप से केवल एक आईडी के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं • अभय (आईडीबीआई) जैसे एप मोबाइल से ही कार्ड को ब्लॉक-अनब्लॉक करते हैं। कई दूसरे एप से सिर्फ आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर से ही तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है।

लेकिन पेमेंट में परेशानी : • यूपीआई से सिर्फ पर्सन टू पर्सन या अकाउंट टू अकाउंट लेन-देन हो सकता है। फिजिकल शॉपिंग, बिल भुगतान के विकल्प कम • फेस टू फेस पेमेंट या दुकानदार को पेमेंट एप के जरिए सिर्फ क्यूआर कोड से ही हो सकेगा।

12 करोड़ से अधिक लोग देश में मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई एप को भी 20 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है।

प्री पेड कार्ड

इट्ज कैश और दूसरे प्री-पेड कार्ड कंपनियों के स्टोर या बैंक ब्रांच से लिए जा सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं- बार-बार प्रयोग होने वाले और दूसरा, जिसमें एक बार पैसा डाला जाता है।

खाता नहीं तो भी पैसा : • सबसे बड़ी खासियत है कि बैंक अकाउंट न होने पर भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है • बैंक लिंक्ड कार्ड का प्रयोग फिर डेबिट कार्ड की तरह किया जा सकता है • नौकरीपेशा लोगों के लिए संस्थान से अनुबंध कर पेरोल कार्ड और विदेश से भारत में आने वाले पर्यटकों को पैसे की परेशानी से बचाने के लिए भी आईएनआर कार्ड जारी किया जाता है।

लेकिन सीमित उपयोग : • इट्ज कैश में 50 हजार रु तक बैलेंस रखा जा सकता है। कई कार्ड में अधिकतम लिमिट एक लाख रु है। कई कार्ड केवल शॉपिंग तक सीमित है। समय सीमा की भी वैधता होती है।

12 करोड़ ग्राहक हैं इट्ज कैश के। नोटबंदी से 50% वैल्यू ट्रांजेक्शन बढ़े हैं। रोज 60 से 70 करोड़ रु के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं।

जानें जरूरी बातें : • नेट बैंकिंग सबसे सेफ, क्रेडिट कार्ड पर अधिक खतरा • 40 हजार से अधिक केस रिपोर्ट हुए अप्रैल 2013 से जून 2016 तक बैंकिंग फ्रॉड के देश में • 70% से ज्यादा फ्रॉड के मामले क्रेडिट कार्ड से जुड़े हैं। नेट बैंकिंग के सिर्फ 1.3 % मामले हैं • 30 लाख करोड़ से अधिक की हो जाएगी डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री अगले चार साल में। यह बात गूगल-बीसीजी ने अपनी रिपोर्ट में कही है।

ये करें : • एम वॉलेट या नेट बैंकिग में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। नंबर, कैरेक्टर व अलफाबेट मिक्स करें • सही सोर्स से ही एप डाउनलोड करें। किसी थर्ड पार्टी सोर्स से न करें। कंपनी की वेबसाइट से करें • मोबाइल वॉलेट का अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते रहें।

ये न करें : • पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल न करें • कैशबैक के लालच में न पड़ें। आरबीआई की वेबसाइट से यह चेक करे कि क्या इस वॉलेट कंपनी के पास लाइसेंस है • एम वॉलेट में अधिक पैसा न रखें। ताकि अकाउंट हैक भी हो जाए तो नुकसान ज्यादा न हो। **(साभार : दैनिक भास्कर, 4.12.2016)**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से शुरू करें बिजनेस

मुद्रा योजना का उद्देश्य साफ है। सही शब्दों में मुद्रा योजना छोटे उद्योगों को मजबूत बना कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। इस योजना के तहत छोटे उद्योगों को लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि आसानी से इन उद्योगों की शुरुआत हो सके और देश में रोजगार के अवसर बढ़ें। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम-से-कम ब्याज दर पर 50 हजार से दस लाख तक का लोन दिया जा रहा है। मुद्रा बैंक के तहत अनुसूचित जाति या जन जाति के उद्यमियों को प्राथमिकता में रखा गया है। यह लोन सार्वजनिक व निजी बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से लिया जा सकता है।

छोटे कारोबारी ले सकते हैं इस योजना का लाभ : ऐसे कई छोटे बिजनेस मैन हैं, जिनको बैंक से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती है क्योंकि वे नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कारण वे उद्योग की बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। इस योजना के तहत हर वह व्यक्ति जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या किसी के साथ साझेदारी के दस्तावेज हो वह इस प्रधानमंत्री मुद्रा से लोन ले सकता है। ध्यान रहे कि यह योजना केवल छोटे कारोबारियों के लिए है।

ये ले सकते हैं स्कीम का लाभ : इस स्कीम में जमीन, परिवहन, सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ खाद्य उत्पाद आदि शामिल हैं। इसके अलावा लघु निर्माण इकाईयों के रूप में कार्यरत दुकानदार आदि भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मुद्रा बैंक ने लोन लेनेवाले को तीन हिस्सों में बांटा है, इसमें कारोबार शुरू करनेवाले (शिशु), मध्यम स्थिति में लोन तलाशने वाले (किशोर) और विकास के अगले स्तर पर जाने की इच्छा रखनेवाले (तरुण) लोग शामिल हैं। इन तीन हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्र बैंक ने तीन कर्ज उपकरणों की शुरूआत की है।

शिशु : इसके दायरे में 50 हजार रुपये तक के कर्ज आते हैं।

किशोर : इसके दायरे में 50 हजार से पाँच लाख रुपये तक के कर्ज आते हैं।

तरुण : इसके दायरे में 5 लाख से दस लाख रुपये तक का लोन मिलता है।

मुख्य बातें : सामान्यत: ब्याज दर 12 फीसदी के लगभग है। अलग-अलग बैंक में रेट अलग हो सकता है। किसी तरह की प्रोसेसिग फी नहीं ली जाती है। कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। लोन का भुगतान पाँच साल में पूरा करना है।

मुख्य दस्तावेज : • **पहचान प्रमाण पत्र :** वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की स्व प्रमाणित प्रति • **निवास प्रमाण पत्र :** टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद • जाति प्रमाण पत्र • उद्योग से संबंधित दस्तावेज, लाइसेंस एवं सर्टिफिकेट • आवेदक अन्य किसी बैंक या वित्तीय संस्था का चूक कर्ता नहीं होना चाहिए • वर्तमान बैंक, यदि कोई हो, तो उसके खाते का विवरण • इकाई के पिछले दो साल से संबंधित तुलन-पत्र और साथ में आयकर या विक्रय कर विवरणियाँ आदि • आवेदन प्रस्तुत करने का तिथि तक चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी विक्रय राशि • परियोजना रिपोर्ट जिसमें टेक्निकल और आर्थिक लेनदेन का ब्योरा आदि • मालिक या भागीदारों की दो फोटो।

"मुद्रा लोन लेने वाले आवेदक का दस्तावेज सही पाये जाने के लगभग एक सप्ताह के अंदर लोन स्वीकृत हो जाता है, लेकिन अधिकांश मामले में देखा जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज पूरा करने में बहुत समय लगा देते है या फिर दुबारा आते ही नहीं है। बैंक का प्रयास होता है कि आवेदक को लोन मुहैया कराया जाये।"

– **अभय कुमार कंठ,** उप प्रबधक (लघु एवं मध्यम व्यवसाय) स्टेट बैंक

(साभार : प्रभात खबर, 23.12.2016)

सोलर पावर के लिए कृषि योग्य भूमि का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी, 6 साल में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

साल 2022 तक देश में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो कुल ऊर्जा का करीब 20 परसेंट होगा। यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। गोयल ने बताया कि सरकार की अनुपयोगी, बंजर और रेगिस्तानी भूमि का इस्तेमाल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरणों में रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकारी संस्थानों की छतों का इस्तेमाल करने का विचार है। उन्होंने बताया कि देश में 34 सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्यों से भी बात हो रही है। उन्होने बताया कि सरकार की सोच है कि कृषि भूमि का इस्तेमाल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं किया जाएगा।

निजी मूमि का उपयोग : उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में प्रति पाँच मेगावाट उत्पादन के लिए करीब पाँच एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से निजी और राजस्व वाली भूमि उपयोग में लाई जा सकती है। पर्याप्त सौर विकिरण वाली भूमि का अधिग्रहण चुनौती वाला काम है। जिससे निपटने के लिए सरकार ने सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की, देश में सौर क्षेत्रों के विकास की तथा रूफटॉप सौर परियोजनाओं की शुरूआत की है। **(साभार : आई नेक्स्ट, 9.12.2016)**

बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को सौंपा

बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत विनियामक को सौंप दिया गया है। राज्य की दोनों विद्युत कंपनियों ने आयोग को सौंपे प्रस्ताव में औसत रूप से प्रति यूनिट 1.27 रुपए से दो रुपए तक बढ़ाने का आग्रह किया है। आयोग इस प्रस्ताव पर लोगों से राय लेगा। कंपनियों से बात करेगा। फिर कोई निर्णय लेगा। इसके लिए प्रमंडलों में जनसुनवाई होगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में प्रति यूनिट औसत 5.70 से 7.50 रुपए बिजली दर है। इसे अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2017 से 6.97 से 9.50 रुपए किया जाए। यह राज्यभर का औसत टैरिफ है। घरेलू कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि कम रहेगी।

अपने प्रस्ताव में कंपनी ने कहा है कि तीन वर्षों से बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। राज्य सरकार हर वर्ष बड़ी राशि अनुदान के रूप में कंपनी को देती है, इसके बाद भी नुकसान की पूरी भरपाई नहीं होती। दिसम्बर 2018 तक राज्य के हर घर को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करानी है। बिजली खरीद का खर्च बढ़कर 3712 करोड़ हो गया है। कंपनी ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों के बराबर बिजली दर का प्रस्ताव बनाया गया है।

कंपनी ने ये भी प्रस्ताव दिए : • ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान पर एक फीसदी की छूट • बीपीएल उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर 30 की जगह 50 यूनिट हर माह बिजली • सभी कोटि के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक उपभोग हटेगा • प्रीपेड भुगतान पर उपभोक्ताओं को राशि पर छह फीसदी ब्जाज। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2016)**

खेतों में बिजली को खर्च होंगे 5800 करोड़

राज्य के सभी 38 जिलों में खेत-खेत तक बिजली पहुँचेगी। विद्युत कंपनी ने इस काम को 24 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ठेकेदारों की चयन प्रक्रिया पूरी कर कार्य भी सौंप दिया गया। अरवल और लखीसराय जिले के लिए अभी तक कोई कंपनी आगे नहीं आई है।

दीनदयाल उपध्याल ग्राम ज्योति योजना के तहत खेत-खेत तक बिजली पहुँचाने के लिए 288 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। पावर सब स्टेशनों से खेत-खेत तक बिजली जाएगी। 25 केवी और 63केवी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाकर किसानों की बोरिंग को बिजली दी जाएगी।

पटना में 17 पावर सब स्टेशन : पटना जिले में 17 पावर सब स्टेशन बनेंगे। 320 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च होंगे। सबसे अधिक राशि पटना जिले पर खिर्च होगी। यह योजना जनवरी 2015 की है। ठेकेदार चयन करने सहित प्रक्रियाओं को पूरा करने में विलंब हो गया। अब तक विद्युत कंपनी ने करीब 100 पीएसएस के लिए जमीन की तलाश कर ली है। 188 पीएसएस का स्थल चयन अब तक नहीं हो पाया है।

10 एमवीए होगी क्षमता : हर पावर सब स्टेशन की क्षमता दस एमवीए होगी। प्रत्येक पावर सब स्टेशन से छह फीडर निकलेंगे। तीन फीडर से कृषि कार्यों के लिए बिजली पहुँचाई जाएगी। एक फीडर रिजर्व में रखा जाएगा तथा दो फीडरों का इस्तेमाल ग्रामीणों के घरेलू उपभोग के लिए बनेगा। राज्य में 12 लाख डीजल चलित तथा 55 हजार बिजली चलित पंप है।

"अरवल और लखीसराय छोड़कर सभी जिलों के ठेकेदार चयनित हो गए हैं। 24 माह के अदर राज्य सभी जिलों में खेत-खेत तक बिजली पहुँचा दी जाएगी। कृषि फीडर बन जाने के बाद गाँव-गाँव में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके साथ पुराने पावर सब स्टेशनों की भी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।" – **एस. के. पी. सिंह,** निदेशक, विद्युत कंपनी

(साभार : दैनिक जागरण, 7.12.2016)

राज्य के 28 वेटलैंड किए जाएंगे पुनर्जीवित

सूबे के 28 वेटलैंड (जलमय भूमि) को नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाएगा। बिहार राज्य आर्द्र भूमि विकास प्राधिकरण ने 12 जिले के छोटे-बड़े जलमय भूमि को चिह्नित कर लिया है। सकरी-हसनपुर रेल लाइन के लिए कुशेश्वर स्थान वेटलैंड का उपयोग करने पर प्राधिकरण जल्द ही निर्णय लेगा।

विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा की अध्यक्षता में प्राधिकरण की हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। तय हुआ कि मुजफ्फरपुर का मणिकामन झील, मोतिहारी का मोती झील और दरभंगा का गंगा सागर, हराहि व दीग्घी झील को पुनर्जावित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, सीवान, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, बक्सर व भोजपुर के कुल 28 वेटलैंड को पुनर्जावित करने का निर्णय किया गया। प्राधिकरण उदयपुर वन्यप्राणी आश्रवणी का सरैयामान झील, बरैला झील पक्षी आश्रयणी, कावर ताल पक्षी आश्रयणी व कुशेश्वरस्थान पक्षी आश्रयणी के प्रबंधन पर भी काम करेगा। यह भी तय हुआ कि भविष्य में किसी भी भवन व अन्य संरचना के विकास व निर्माण कार्य के लिए सरकारी भूमि का उपयोग करने से पहले प्राधिकरण की मंजूरी लेनी होगी। प्राधिकरण को वेटलैड पर निर्णय लेने के बाद केन्द्रीय वेटलैंड प्राधिकरण से भी मंजूरी लेनी होगी। बैठक में पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. डी. के. शुक्ला, जल संसाधन, पशुपालन, नगर विकास विभाग आदि के अफसर भी मौजूद थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2016)**

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

01 January
Shri Vimal Kumar Verma
M/s Vimal Abhushan Bhandar

01 January
Shri Sawal Ram Drolia
M/s Drolia Brothers

01 January
Shri S. S. Khadria
M/s Phooltas-UTS Ltd

01 January
Shri Anil Kumar Akela
Nalanda Chamber of Commerce

01 January
Shri Anas Ahmad
M/s Universal Trading Co.

02 January
Shri Moti Lal Chhaparia
North Bihar Chamber of Commerce & Industry

02 January
Dr. Ramesh Gandhi
M/s Bindhya Pharma

04 January
Shri Shashank Priyadarshi
M/s Jaya Nutritions Pvt. Ltd.

05 January
Shri Basant Kumar
M/s Janta Medical Hall

05 January
Shri Ashok Kumar
M/s Anurag Sheet Bhandar Pvt. Ltd.

05 January
Shri Rakesh Kumar
M/s R. G. Softwares & Systems

07 January
Shri Kaushal Kumar Das
M/s Popular Pharma

07 January
Shri Dilip Kumar Agrawal
M/s New Dilip & Company

09 January
Shri Prashant Kumar
M/s R. G. Softwares & Systems

10 January
Shri Giridhari Lal Saraf
M/s Shree Shanker Trading Co.

10 January
Shri Kailash Pd. Agrawal
M/s Jai Bhawani Electricals

12 January
Shri Ashok Kr Srivastava
M/s Shree Enterprises

13 January
Shri Ganesh Kr. Khetriwal
M/s Ajanta Products

15 January
Shri Anand Kr. Singhania
M/s Shree Medical Hall

18 January
Shri Amrendra Kumar
Bihar Chemists & Druggists Association (Regd.

19 January
Md Jawed Alam
M/s Danyal Trading Co

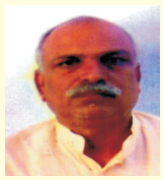

21 January
Shri Ranjeet Prasad Singh
M/s Mahabir Distributor

23 January
Shri Manoj Anand
M/s Poonam Enterprises

26 January
Shri Swadesh Kumar
M/s N. M.S.Marketing

26 January
Shri Shailendra Kr. Azad
M/s Moulding House

26 January
Shri Pradip Kr. Gaggar
M/s Gokul Sales

28 January
Shri Prakash Kr. Tibrewal

28 January
Shri Prashant Churiwal
M/s Bhimraj Devi Bux

28 January
Shri Ramesh Kr. Agrawal

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भी अपना जन्मदिन रंगीन फोटो के साथ हमें भेजने की कृपा करें ताकि उनका जन्मदिन भी समयानुसार बुलेटिन में प्रकाशित कर शुभकामनाएं दी जा सके।
– शशि मोहन, महामंत्री

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

– शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD

EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org